आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, आदित्यपुर, जमशेदपुर

aiada

आदेश

प्राधिकार के आदेश संख्या 889 दिनांक 4-6-96 के अनुपालन में सव श्री साली स्नीलरी इण्डस्ट्री, ए-14, द्वितीय चरण(V) औद्योगिक क्षेत्र, आदित्यपुर को आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र के द्वितीय चरण में प्लौट संख्या ए-14 44395 ~~एकड़~~/ वर्गफीट भूमि का दखल कब्जा उद्योग विस्तार पदाधिकारी एवं सर्वेयार सह प्रारुपक संयुक्त रुप से दे दें।

ह०/-
प्रबन्ध निदेशक

ज्ञापांक 967 / ए० डी० ए० आदित्यपुर, दिनांक 17-6-96

प्रतिलिपि सर्वश्री साली स्नीलरी इण्डस्ट्री, ए-14, द्वितीय चरण(V) औद्योगिक क्षेत्र, आदित्यपुर चरण को प्रेषित। ईकाई से अनुरोध है कि क्षेत्रीय उद्योग विस्तार पदाधिकारीं एवं अंचल निरीक्षक से सम्पर्क स्थापित कर दिनांक 30/6/96 तक जमीन का दखल ले लें अन्यथा यह आदेश स्वतः रद्द समझा जायेगा।

१ जमीन का दखल लेकर दी गई जमोन के चारों कोने पर पीलर दे दें **तथा** अंचल निरीक्षक को सूचित कर दें जिससे वे उसकी पुन; जाँच कर लें।

२ अपने प्लौट पर ईकाई का नाम का साईनबोर्ड तुरन्त लगा दें।

३ जमीन का दखल लेने पर, उसके चारों ओर चहारदिवारी का निर्माण तथा अस्थाई एक छोटा कमरा या शेड चौकीदार के रहने के लिए आप निर्माण कर सकते हैं। यह पूर्ण तथा अस्थायी चौकीदार के रहने का शेड कारखाना निर्माण के साथ ही हटा लेना होगा।

४ जमीन दखल लेने के एक माह के भीतर फैक्ट्री प्लान तीन प्रतियों में इस कार्यालय में दाखिल करें जिसके प्रारम्भिक अनुमोदनोपश्चात् उसे मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, राँची को भेजकर उनका अनुमोदन, जमीन दखल लेने के तीन माह के भीतरप्राप्त करें। फैक्ट्री प्लान मुख्य कारखाना निरीक्षक को समर्पित किये जाने की सूचना इस कार्यालय को भी दें। जिस ईकाई के भूखण्ड के पास कोई अन्य सड़क हो तो वे अपना मुख्य द्वार आदित्यपुर-कान्ड्रा मुख्य सड़क पर नहीं रखेंगे।

५ मुख्य कारखाना निरीक्षक द्वारा अनुमोदित फैक्ट्री प्लान की एक अतिरिक्त प्रति इस कार्यालय को समर्पित कर उसके अधार पर कोई भी निर्माण कार्य शुरु करने के पहले अधोहस्ताक्षरी से बी०आर०यु०एन० एक्ट के अन्दर निर्माण किये जाने को अनुमति प्राप्त कर निर्माण करें।

६ अपने प्लोट में पानी की लाईन लेने के लिए अवर प्रमण्डल पदाधिकारी लोक स्वास्थ्य [अभि०] आदित्यपुर को आवेदन कर इस कार्यालय को सूचित करें तथा लाईन मिल जाने पर पुनः सूचना दें।

७ प्लौट पर बिजली लेने के लिए, अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, बिहार राज्य विद्युत पर्षद, आदित्यपुर को विहित प्रपत्र में आवेदन कर इस कार्यालय को भी सूचित करें तथा लाईन मिल जाने पर पुन: इसकी सूचना इस कार्यालय को दें।

८ कोई कठिनाई होने पर तथा जानकारी के लिए क्षेत्र उद्योग प्रसार पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित करें ।

९ भूखण्ड पर खड़े वृक्ष प्राधिकार की सम्पति रहेगी तथा उनका बिना प्राधिकार की अनुमति प्राप्त किये, काटने का हक इकाई को नहीं होगा ।

१० पट्टा दस्तावेज के एक्सक्यूशन एक निबन्धन की तिथि तक इकाई को भूखण्ड पर अनुज्ञप्तधारी की स्थिति रहेगी ।

११ आवंटी ईकाई यदि निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तावित कारखाना का निर्माण नहीं करता है तो उसे प्लौट का आवंटन रद्द समझा जायेगा और जमीन के मुल्य के रुप में उसके जमा की गई राशि प्राधिकार द्वारा जप्त समझ ली जायेगी तथा प्राधिकार द्वारा प्रासांगिक भूमि का दखल कब्जा एक तरफा ग्रहण कर लिया जायेगा ।

प्रबन्ध निदेशक

ज्ञापांक /ए० डी० ए०, आदित्यपुर, दिनांक

प्रतिलिपि: उद्योग विस्तार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारंवाई के लिए अग्रसारित । अंचल निरीक्षक / उद्योग विस्तार पदाधिकारी इकाईयों का निरिक्षण कर आदेश के अनुपालन कर प्रतिवेदन देगें ।

प्रबन्ध निदेशक

ज्ञापांक /ए० डी० ए०, आदित्यपुर, दिनांक

प्रतिलिपि: अवर प्रमंडल पदाधिकारी; लोक स्वास्थ्य अभि० विभाग आदित्यपुर / अवर प्रमंडल पदाधिकारी, बिहार राज्य विद्युत पर्षद, आदित्यपुर को सूचनार्थ । उनसे अनुरोध है कि आवेदक द्वारा जल/बिजली हेतु किये जाने पर उन्हें शीघ्र ही यह सुविधा कराने की कृपा करें ।

प्रबन्ध निदेशक

Mithila Prakashan Adityapur JSR—13, Phone- 407640

आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, आदित्यपुर, जमशेदपुर ।

आ दे श

सर्वश्री साबी एन्सलरी इण्डस्ट्रीज प्लाट सं0/~~शेड सं0~~ ए-14

क. श्री जितेन्द्र प्रताप सिंह ख. श्री रंजीत घोष

ग. श्रीमती रानू घोष . घ. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

इ. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx च. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

के ~~स्वत्वाधिकार~~/साझेदारी/~~प्रा0 लि0 कम्पनी~~/~~लिमिटेड कम्पनी~~ व्यवस्था में ~~कार्यरत~~ थी । ~~xxxxx~~ । अब इस इकाई में हुए विधान परिवर्त्तन के तहत इकाई के नाम/स्वत्वाधिकार से साझेदारी/साझेदारी से ~~प्रा0xलि0xकम्पनीxप्रा0xलि0xकम्पनीxसेxलिमिटेड कम्पनी~~ में हुए परिवर्त्तन की स्वीकृति, निम्नलिखित शर्त्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

क. इस इकाई का परिवर्त्तित नाम सर्वश्री जगजीत कम्पनी होगा ।

ख. इस इकाई के ~~xxxxxxxxxxxx~~/साझेदार/~~निदेशक~~ निम्नलिखित होंगे :-

1. श्री रंजीत घोष 2. श्रीमती रानू घोष
3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 4. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
5. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 6. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ग. भू-आवंटन आदेश, लीज डीड एवं इनकी शर्त्तें पूर्ववत रहेगी ।

घ. इस परिवर्त्तन से उत्पन्न किसी भी वित्तिय मामलों एवं वैधानिक संकट का दायित्व पूर्णतः इकाई एवं इकाई के ~~xxxxxxxxxxx~~/साझेदारों/~~निदेशकों~~ की होगी ।

ड. इकाई के इस विधान परिवर्त्तन के पश्चात मूल उद्यमी का अस्तित्त्व समाप्त होने पर, प्राधिकार नए सिरे सेव्र वर्त्तमान दर पर भूमि का आवंटन करेगी ।

ह0/-
प्रबन्ध निदेशक ।

ज्ञापांक 1473 /आ0क्षे0वि0प्रा0, आदित्यपुर, दिनांक : 30/8/96

प्रतिलिपि: सर्वश्री जगजीत कम्पनी (पुराना नाम सर्वश्री साबी एन्सीलरी इण्डस्ट्रीज) प्लाट सं0 ए-14 चरण द्वितीय, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र, विकास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित ।

29/8/96

विकास पदाधिकारी ।

आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, आदित्यपुर, सरायकेला–खरसाँवा।

आदेश

सर्वश्री **जगतजीत कंपनी** प्लॉट सं0 ए0– **14** चरण **द्वितीय** औद्योगिक क्षेत्र, आदित्यपुर

(क) श्री रंजीत घोष

(ख) श्रीमति रानू घोष

के साझेदारी व्यवस्था में कार्य कर रही थी। अब इस इकाई में हुए विधान परिवर्तन के तहत इकाई के साझेदारी में प्रा0 लि0 में हुए परिवर्तन की स्वीकृति, निम्नलिखित शर्तो के साथ प्रदान की जाती है :–

क) अब इस इकाई का नाम सर्वश्री **जगतजीत ऑटोमोटिव कंपनी प्रा0 लि0** होगा।

ख) इस इकाई के निदेशक निम्नलिखित होंगे :–

(क) श्री रंजीत घोष

(ख) श्रीमति रानू घोष

(ग) श्री ऋषि राज घोष

(घ) श्री रितू राज घोष

(ग) भू–आवंटन आदेश, लीज डीड एवं इसकी शर्त्ते पूर्ववत रहेगी।

(घ) इस परिवर्तन से उत्पन्न किसी भी वित्तीय मामलों एवं वैधानिक संकट का दायित्व पूर्णतः इकाई के निदेशको की होगी।

ह0/–

प्रबन्ध निदेशक

ज्ञापांक 697 /एडीए आदित्यपुर, दिनांक 13.08.13

प्रतिलिपि :– सर्वश्री **जगतजीत कंपनी** प्लॉट सं0 ए0– **14** चरण **द्वितीय** आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/8/13

स चि व

झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, आदित्यपुर प्रक्षेत्र, सरायकेला–खरसाँवा।

आदेश

सर्वश्री **Jagatjit Automotive Company Pvt. Ltd.** प्लॉट सं0 ए–14, रकवा –44395 वर्गफीट, द्वितीय चरण, औद्योगिक क्षेत्र, आदित्यपुर

- (i) **Ranjit Ghosh**
- (ii) **Ranu Ghosh**
- (iii) **Ritu Raj Ghosh**
- (iv) **Rishi Raj Ghosh**

के निदेशक मंडली में कार्य कर रही थी। अब इस इकाई का नये कम्पनी/इकाई के पक्ष में हुए Lease Hoid Right Transfer की स्वीकृति, निम्नलिखित शर्तो के साथ प्रदान की जाती है :–

(क) अब इस इकाई का नाम सर्वश्री **Meditrina Hospitals Pvt. Ltd.** होगा।

(ख) अब इस इकाई के निम्न निदेशक होंगे :–

- (i) **N. Prathap Kumar**
- (ii) **Prince Vaishnavan Kayammattam**
- (iii) **Sheiban Imad**

(ग) भू–आवंटन आदेश, लीज डीड एवं इसकी शर्त्ते पूर्ववत् रहेगी।

(घ) इस परिवर्तन से उत्पन्न किसी भी वित्तीय मामलों एवं वैधानिक संकट का दायित्व पूर्णतः इकाई के नये निदेशकों की होगी।

(ङ) इकाई के इस विधान परिवर्तन के पश्चात् मूल उद्यमी का अस्तित्व समाप्त होने पर, प्राधिकार नगे सिरे से वर्तमान दर पर भूमि का आवंटन करेगी।

ह0/–
क्षेत्रीय निदेशक
जियाडा, आदित्यपुर प्रक्षेत्र।

ज्ञापांक 728 /आ0प्र0 आदित्यपुर, दिनांक 13.7.21

प्रतिलिपि :– सर्वश्री **Meditrina Hospitals Pvt. Ltd.** /सर्वश्री **Jagatjit Automotive Company Pvt. Ltd.,** प्लॉट सं0 ए–14, द्वितीय चरण, औद्योगिक क्षेत्र, आदित्यपुर, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.7.21

क्षेत्रीय निदेशक
जियाडा, आदित्यपुर प्रक्षेत्र।